

कार्यालय-अपर श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, सर्वोदय नगर, कानपुर।

:—आदेश—:

सूचनीय है कि महामारी अधिनियम 1879 के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-03-2020-30 (सा0)/2020 लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा सभी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों के स्वामियों/सेवायोजकों को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रतिष्ठान राज्य सरकार या जिलाधिकारी के आदेशों से कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप अस्थायी रूप से बन्द किये गये हैं, उनमें नियोजित समस्त श्रमिकों को उक्त अस्थायी बन्दी अवधि के लिये सेवायोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।

उपर्युक्त के संबंध में अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु पूर्व में ही सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उक्त के संबंध में पुनः समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित है कि सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्रों में स्थित सभी प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों द्वारा सभी श्रमिकों को उपर्युक्तानुसार अस्थायी बन्दी (लॉकडाउन) के अवधि का वेतन भुगतान हो गया है। यदि किसी स्वामी/सेवायोजक द्वारा दिनांक 07/04/2020 को दोपहर 02 बजे तक भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे सेवायोजकों के विरुद्ध दिनांक 07/04/2020 के सायं 05 बजे तक महामारी अधिनियम 1879 के अन्तर्गत सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराना सुनिश्चित करें।


(एस0पी0शुक्ल)
अपर श्रम आयुक्त,


कानपुर क्षेत्र, कानपुर।

दिनांक- 05/04/2020

पत्र सं0- 4169-74 के0आर0शि0-2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कानपुर क्षेत्र, कानपुर का अनुपालनार्थ
- 2-सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से भी अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।
- 3-जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद एवं इटावा।
- 4-मण्डलायुक्त/श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
- 5-प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 6-समस्त समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश/विज्ञप्ति अपने समाचार पत्रों में जनहित एवं निःशुल्क में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


(एस0पी0शुक्ल)
अपर श्रम आयुक्त,
कानपुर क्षेत्र, कानपुर।

**UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09 /2020/446/xxxvi-03-2020-30(sa)/2020 Dated 20 March, 2020

NOTIFICATION

No.09 /2020/446 /xxxvi- 03-2020-30(sa)/2020

Lucknow, Dated 20 March, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisions of law for the time being in force are insufficient for the purpose,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers given under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to prescribe the following regulations-

- 1- The employees/workmen affected by Covid-19 or who are suspected to be affected by Covid-19 and kept in isolation will be provided paid leave of 28 days by their employers. Such leave shall be permissible only when such workman or employees provide/submit a medical certificate in this regard to their employer or authorised person at the time of joining duties after fitness.
- 2- Employee/Workmen of the shops/commercial establishment/factories which closed temporarily by the orders of the State Government or District Magistrate shall be provided holiday with wages by their employer for the period of such temporary closure.
- 3- All shop/Commercial establishment/factories where ten or more workmen are employed shall display on notice board and main gate of the establishment safety measures prescribed by the Central Government or the State Government for prevention of Covid- 19.
- 4- This order shall come into force immediately after issuance of this notification.

By Order,

**(Suresh Chandra)
Principal Secretary**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।